

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक:- पं.1(22)शिक्षा-6/2020

जयपुर दिनांक 12.11.2021

निदेशक,
संस्कृत शिक्षा
राजस्थान, जयपुर।

विषय :- संस्कृत शिक्षा विभाग के महाविद्यालय व्याख्याता जो अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति अथवा कार्यालयों में प्रशासनिक पदों पर पदास्थापित हैं उन्हें वरिष्ठ/चयनित वेतनमान/पे-बैंड-4 हेतु CAS के तहत API स्कोर की गणना की कैटेगरी I एवं II में (Exempt)के सम्बन्ध में

प्रसंग:-आपका पत्रांक निसंशि/संस्था-1/पं.5(24)पीबी-4/पार्ट-II/2021/5870
दिनांक 21.10.2021

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार सन्दर्भित पत्र के क्रम में संस्कृत शिक्षा विभाग के कॉलेज व्याख्याता, जो अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति अथवा कार्यालयों में प्रशासनिक पदों पर पदस्थापित हैं, उन्हें वरिष्ठ/चयनित वेतनमान/पे-बैंड-4 हेतु CAS के तहत API स्कोर की गणना की कैटेगरी I एवं II में (Exempt) के सम्बन्ध में एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

In the light of provision of UGC/AICTE the following view be taken for the teachers diverted as deputationist and who perform administrative work in office-

API requirement of categories I & II of teachers appointed in Regulatory/Advisory bodies & Funding Agencies on deputation/lien/Foreign service in public interest may be relaxed and ACR/ self appraisal performance report be taken as equivalent to API Provided the candidate has scored as least "Very Good" and above rating in the ACR. Notwithstanding that minimum API scores required for teachers under category III Research and Academic Contribution shall be completed as laid down in the UGC Regulation.

29

The proposal is considered with condition of strict compliance of provision of UGC Regulation read with UGC letter dated 05.09.2018.

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 212100478 दिनांक 09.11.2021 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में प्रदान की जाती है।

भवदीय,

—एसडी—

(मो. सलीम खान)

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- निसंशि/संस्था-1/पं.5(24) पीबी-4/पार्ट-II/2021/37595-63 दिनांक:- 18/11/2021

प्रतिलिपी:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1 समस्त प्राचार्य, आचार्य/शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय राजस्थान जयपुर।
- 2 वित्तीय सलाहकार, निदेशालय संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 3 वरिष्ठ विधि अधिकारी, निदेशालय संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 4 संरक्षण पंजिका।

18/11/2021

(डॉ. दीरघराम रामस्नेही)

निदेशक

संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर